

XI. दावों का निपटान

XI.1 लॉकर किराए पर लेने वाले की मृत्यु के मामले में वस्तुओं तक पहुंच-

A. एकमात्र लॉकर किराएदार की मृत्यु- यदि एकमात्र लॉकर किराए पर लेने वाला व्यक्ति को लॉकर में सामग्री प्राप्त करने के लिए नामित करता है, तो मृत्यु प्रमाण पत्र के सत्यापन और संपर्क किए गए ऐसे व्यक्ति की पहचान और वास्तविकता को पूरा करने के बाद, बैंक लॉकर की सामग्री को हटाने की स्वतंत्रता के साथ ऐसे नामांकित व्यक्ति को लॉकर तक पहुंच प्रदान करेगा। एक इन्वेंट्री निर्धारित तरीके से ली गई थी।

B. लॉकर को संयुक्त हस्ताक्षर के तहत संचालित करने के निर्देशों के साथ संयुक्त रूप से किराए पर लिया जाता है- यदि लॉकर को संयुक्त हस्ताक्षर के तहत संचालित करने के निर्देशों के साथ संयुक्त रूप से किराए पर लिया जाता है, और लॉकर किराए पर लेने वाला किसी अन्य व्यक्ति को नामित करता है, तो लॉकर रखने वालों में से किसी की मृत्यु की स्थिति में, बैंक लॉकर तक पहुंच देगा और इन्वेंट्री लेने के बाद उत्तरजीवी (ओं) और नामांकित व्यक्ति (ओं) को संयुक्त रूप से सामग्री को हटाने की स्वतंत्रता देगा। निर्धारित तरीके से।

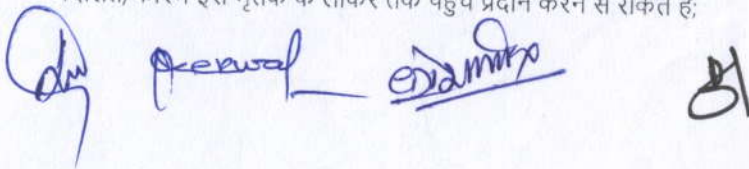
C. लॉकर को उत्तरजीविता खंड के साथ संयुक्त रूप से किराए पर लिया जाता है- यदि लॉकर को उत्तरजीवी खंड के साथ संयुक्त रूप से किराए पर लिया जाता है और किराए पर लेने वालों को निर्देश दिया जाता है कि लॉकर की पहुंच या तो उत्तरजीवी, "किसी भी या उत्तरजीवी" या "पूर्व या उत्तरजीवी" या बैंकिंग विनियमन अधिनियम के प्रावधानों के तहत अनुमेष किसी अन्य उत्तरजीविता खंड के अनुसार दी जाएगी। 1949 में, बैंक संयुक्त लॉकर-किराए पर रखने वालों में से एक या अधिक की मृत्यु की स्थिति में जनादेश का पालन करेगा।

उपरोक्त संचालन के किसी भी तरीके के साथ संयुक्त रूप से किराए पर लिए गए लॉकरों के मामले में, नामांकन की अनुमति होगी। हालांकि, इस तरह का नामांकन केवल एक व्यक्ति के पक्ष में होगा।

तथापि, बैंक नामांकित व्यक्ति/उत्तरजीवी को सामग्री की अभिगम प्रदान करने से पहले निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:

(i) उत्तरजीवी /नामांकित व्यक्ति की पहचान स्थापित करने और उचित दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त करके लॉकर किराए पर लेने वाले की मृत्यु के तथ्य को स्थापित करने में उचित सावधानी बरतें।

(ii) यह पता लगाने के लिए मेहनती प्रयास करें कि क्या कोई आदेश या निर्देश है अदालतों/फोरम इसे मृतक के लॉकर तक पहुंच प्रदान करने से रोकते हैं;



(iii) उत्तरजीवी/नामित व्यक्ति को यह स्पष्ट कर दें कि लॉकर/सुरक्षित अभिरक्षा वस्तुओं में वस्तुओं तक पहुंच उन्हें केवल मृत लॉकर हायरर के कानूनी उत्तराधिकारियों के ट्रस्टी के रूप में दी जाती है अर्थात्, उन्हें दी गई ऐसी पहुंच उस अधिकार या दावे को प्रभावित नहीं करेगी जो किसी भी व्यक्ति के पास उत्तरजीवी /नामांकित व्यक्ति के खिलाफ हो सकता है, जिसे पहुंच प्रदान की गई है।

बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि लॉकर की सामग्री, जब किसी नाबालिग नामांकित व्यक्ति की ओर से हटाने की मांग की जाती है, तो उसे एक ऐसे व्यक्ति को सौंप दिया जाता है, जो कानून में, ऐसे नाबालिग की ओर से वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए सक्षम है।

XI.2 मृत्यु दावा निपटान प्रक्रिया जिसमें नामांकन पंजीकृत किया जाता है-

- ▮ नामांकित व्यक्ति के पास एकमात्र लॉकर धारक की मृत्यु पर या उत्तरजीविता खंड के तहत सभी जीवित लॉकर धारकों की मृत्यु की स्थिति में लॉकर की सामग्री को हटाने की पहुंच और स्वतंत्रता होगी।
- ▮ नामांकन करने वाले लॉकर धारक की मृत्यु होने पर, मृत्यु प्रमाण पत्र नामांकित व्यक्ति के केवाईसी के साथ प्राप्त किया जाएगा जो दावेदार है।
- ▮ बैंक दो स्वतंत्र गवाहों, बैंक के एक अधिकारी और दावेदार, जो एक नामित व्यक्ति हो सकता है या नाबालिग की ओर से लेख प्राप्त करने वाला व्यक्ति हो सकता है, की उपस्थिति में वस्तुओं की एक सूची तैयार करेगा।
- ▮ इन्वेंट्री की एक प्रति रिकॉर्ड पर रखी जाएगी और दूसरी नामांकित व्यक्ति को सौंप दी जाएगी।
- ▮ यदि चाबी का पता नहीं चलता है या खो जाता है, तो लॉकर को नामांकित व्यक्ति, दोनों पक्षों के 2 गवाहों, लॉकर के निर्माता और बैंकों के वकील की उपस्थिति में खोला जाएगा। लॉकर की सामग्री को पंचनामा के माध्यम से दर्ज किया जाएगा जिस पर सभी पक्षों और गवाहों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। लॉकर की सामग्री के साथ इसकी एक प्रति नामांकित व्यक्ति को दी जाएगी। ब्रेक ओपन के आरोप नामांकित व्यक्ति द्वारा वहन किए जाएंगे। जब कोई नामांकित व्यक्ति (किसी भी संयुक्त उत्तरजीवी के साथ या बिना) लॉकर रखना जारी रखना चाहता है, तो एक नया समझौता दर्ज किया जाएगा, और अन्य औपचारिकताओं का पालन किया जाएगा जैसा कि एक नया लॉकर किराए पर लेने के मामले में किया जाता है।
- ▮ बैंक नामांकित व्यक्ति या नाबालिग की ओर से वस्तुएं प्राप्त करने के लिए सक्षम व्यक्ति से एक अलग पत्र प्राप्त करेगा, जैसा भी मामला हो, कि लॉकर में सभी सामग्री प्राप्त हुई है और लॉकर खाली है, और उन्हें मानदंडों के अनुसार किसी अन्य लॉकर धारक को लॉकर के आवंटन पर कोई आपत्ति नहीं है। नामित व्यक्ति लॉकर की चाबी सरेडर करेगा और बैंक अधिकारियों को डिस्चार्ज का पत्र सौंप देगा।
- ▮ जैसा कि बचे हुए लोगों/नामांकित व्यक्तियों को दी गई पहुंच, जैसा कि ऊपर बताया गया है, का पूर्ण निर्वहन होता है।
बैंक की देयता और इसलिए कानूनी प्रतिनिधित्व, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रशासन पत्र या प्रोबेट, क्षतिपूर्ति या जमानत का कोई बांड आदि प्रस्तुत करना। इसलिए बचे हुए लोगों/नामितों से लॉकर तक पहुंच प्रदान करने के लिए नहीं कहा जाएगा, जब तक कि नामांकन में कोई विसंगति न हो।
- ▮ नामांकित व्यक्ति (ओं) को यह स्पष्ट किया जाएगा कि लॉकर तक पहुंच उन्हें केवल मृत लॉकर किराएदार के कानूनी उत्तराधिकारियों के ट्रस्टी के रूप में दी जाती है यानी, उन्हें दी गई ऐसी पहुंच उस अधिकार या दावे को प्रभावित नहीं करेगी जो किसी भी व्यक्ति के पास बचे हुए / नामित व्यक्तियों के खिलाफ हो सकता है, जिन्हें पहुंच दी गई है।

XI.3 मृत्यु दावा निपटान प्रक्रिया जिसमें नामांकन पंजीकृत नहीं है

- ▮ एकमात्र लॉकर किराएदार या लॉकर किराए पर लेने वाले सभी लोगों की मृत्यु की स्थिति में, जहां नामांकन पंजीकृत नहीं है और किसी भी जीवित लॉकर किराएदार की अनुपस्थिति में, लॉकर तक पहुंच की अनुमति मृतक के ज्ञात

कानूनी उत्तराधिकारियों को आवश्यक कानूनी प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के उद्देश्य से लॉकर की सामग्री की सूची बनाने के लिए दी जा सकती है (उत्तराधिकार प्रमाण पत्र / प्रोबेट / प्रशासन पत्र के माध्यम से, (आदि) बैंकों के अधिवक्ता/नोटरी जनता या इस संबंध में न्यायालय द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों की उपस्थिति में।

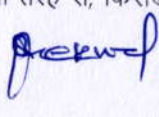
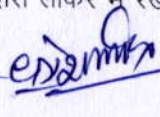
- ॥ मृत लॉकर धारक की संपत्ति में कानूनी प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए लॉकर की सामग्री की एक सूची तैयार करने के अनुरोध को लॉकर धारक की मृत्यु के प्रमाण की उचित पहचान और प्रस्तुत करने पर स्वीकार किया जा सकता है।
- ॥ लॉकर की सामग्री की सूची कानूनी प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का दावा करने वाले व्यक्ति, बैंक के वकील / नोटरी पब्लिक, वैल्यूअर, 2 स्वतंत्र गवाह और 2 शाखा अधिकारियों (संरक्षक और अन्य अधिकारी) की उपस्थिति में बनाई जाएगी।
- ॥ इसके बाद इन्वेंट्री के साथ सत्यापित करने के बाद सामग्री को लॉकर में वापस रखा जाएगा और लॉकर को लॉक कर दिया जाएगा। लॉकर की सामग्री को तीन प्रतियों में पचानामा के माध्यम से दर्ज किया जाएगा, जिस पर उपरोक्त सभी व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। एक प्रति दावेदार को प्रस्तुत की जाएगी और अन्य प्रतियां बैंक के पास रखी जाएंगी।
- ॥ दावे का निपटान करने से पहले, शाखा दावेदार से किराए और लॉकर ब्रेक ओपन शुल्क और अन्य लागू शुल्कों के बकाया की वसूली करेगी।

XI.4 दावों के निपटान के लिए समय सीमा:

- बैंक मृत लॉकर किराएदारों के संबंध में दावों का निपटान करेंगे और लॉकर की सामग्री को उत्तरजीवी /नामांकित व्यक्ति (ओं) को जारी करेंगे, जैसा भी मामला हो, दावा प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों से अधिक की अवधि के भीतर, जमाकर्ता की मृत्यु का प्रमाण प्रस्तुत करने और नामांकन के संदर्भ में दावेदार की उपयुक्त पहचान के अधीन, बैंक की संतुष्टि के लिए।
- बैंक सुरक्षित अभिरक्षा लेख खातों के मृत लॉकर-किराएदारों/जमाकर्ताओं से संबंधित प्राप्त दावों की संख्या और निर्धारित अवधि से अधिक लंबित दावों के ब्यौरे के बारे में सतत आधार पर उचित अंतराल पर बोर्ड को सूचित करेगा। बैंकों का बोर्ड दावों के निपटान की समीक्षा करेगा और यह सुनिश्चित करने के लिए सुझाव देगा कि दावों का निपटान जल्द से जल्द किया जाए जब तक कि न्यायालयों के समक्ष कोई मुकदमा लंबित न हो या नामांकन के संदर्भ में सच्चे दावेदार की पहचान करने में किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े।

12. बैंक का दायित्व-

- बैंक अपने लॉकर या सुरक्षित जमा प्रणाली को बनाए रखने और संचालित करने में उचित परिश्रम करेगा। बैंक लॉकर प्रणाली के उचित कामकाज को सुनिश्चित करेगा, लॉकरों तक अनधिकृत पहुंच से बचाएगा और चोरी और डकैती के खिलाफ उचित सुरक्षा उपाय प्रदान करेगा। इसके अलावा, बैंक डकैती, डकैती, चोरी और संधमारी के मामलों के बारे में आवश्यकताओं की रिपोर्ट करने के लिए धोखाधड़ी पर मास्टर निर्देशों का पालन करेगा।
- बैंक प्राकृतिक आपदाओं या भूकंप, बाढ़, बिजली गिरने और आंधी जैसे भगवान के कृत्यों या लॉकर धारक की एकमात्र गलती या लापरवाही के कारण होने वाले किसी भी कार्य से उत्पन्न लॉकर की सामग्री की किसी भी क्षति और / या हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। तथापि, बैंक अपने परिसरों को ऐसी आपदाओं से बचाने के लिए अपने लॉकर प्रणालियों की समुचित देखभाल करेंगे।
- बैंक उस परिसर की सुरक्षा और संरक्षा के लिए सभी कदम उठाएगा जिसमें सुरक्षित जमा तिजोरी रखी गई है। यद्यपि बैंक को लॉकर की सामग्री के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वह तिजोरी और लॉकरों की उचित देखभाल और सावधानी बरतेगा, जैसा कि एक साधारण विवेक वाला व्यक्ति अपने लॉकर से लेगा। तिजोरी में अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को सावधानीपूर्वक रोका जाएगा ताकि किसी भी जोखिम को रोका जा सके। बैंक, किसी भी तरह से, किराएदार द्वारा लॉकर में रखी गई सामग्री के लिए जिम्मेदार / उत्तरदायी नहीं होगा। यह

   14



सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि बैंक परिसर में आग, चोरी/संधमारी/डकैती, डकैती, इमारत ढहने जैसी घटनाएं अपनी कमियों, लापरवाही और किसी भी चूक के कारण न हों।

- उदाहरण के लिए, जहां लॉकर की सामग्री का नुकसान ऊपर उल्लिखित घटनाओं के कारण होता है या इसके कर्मचारी (ओं) द्वारा की गई धोखाधड़ी के कारण होता है, बैंकों की देयता सुरक्षित जमा लॉकर के प्रचलित वार्षिक किराए के सौ गुना के बराबर राशि के लिए होगी।

XIII. लॉकर सामग्री का बीमा

चूंकि बैंक के पास लॉकर की सामग्री तक पहुंच नहीं है और वे लॉकर की सामग्री या लॉकर किराए पर लेने वाले द्वारा उसमें रखी गई किसी भी वस्तु का रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, इसलिए बैंक, किसी भी जोखिम के खिलाफ लॉकर की सामग्री का बीमा करने के लिए किसी भी दायित्व के अधीन नहीं होगा। बैंक किराया का सौ गुना तक का बीमा करेगा और कोई भी नुकसान होने पर बीमा कंपनी द्वारा दिया गया क्लेम मान्य होगा।

XIV. गोपनीयता और गोपनीयता:

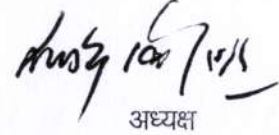
बैंक लॉकर धारक द्वारा किराए पर लिए गए सुरक्षित जमा लॉकरों की अत्यंत गोपनीयता सुनिश्चित करेगा और लॉकरों को किराए पर लेने, संचालन के तरीके आदि के बारे में कोई जानकारी नहीं देगा। किसी के लिए भी, सिवाय इसके कि प्रकटीकरण किराए वाले (ओं) की स्पष्ट सहमति से या वैधानिक शक्तियों वाले सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के अनुपालन में किया जाना आवश्यक हो।

XV. ग्राहक मार्गदर्शन और प्रचार-

बैंक सभी नियमों और शर्तों के साथ मॉडल लॉकर समझौते और जनता के देखने के लिए वेबसाइट पर सुरक्षित जमा लॉकर पर नीति और एसओपी प्रदर्शित करेगा। बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहकों को सुरक्षित जमा लॉकर सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए बैंक के नियमों और शर्तों और सेवा शुल्क से अवगत कराया जाए।

पट्टेदार लॉकर समझौते में उल्लिखित नियमों और शर्तों और समय-समय पर बैंक द्वारा वेबसाइट पर प्रदर्शित सेवा शुल्क की अनुसूची का पालन करेगा और बाध्य होगा।


प्रबंध निदेशक


अध्यक्ष

